विधान परिषद के प्रथम सत्र-2025 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित श्री राज बहादुर सिंह चन्देल, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-4 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
4 (क) क्या समाज कल्याण मंत्री बताएंगे कि जनपद उन्नाव में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ प्रदान किए जाने हेतु रजिस्ट्रेशन सं0-3131133234 के साथ ही वर्ष 2024 में जिला समाज कल्याण आधिकारी,उन्नाव को कितने आनलॉइन आवेदन पत्र प्राप्त हुये है?	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत रजिस्ट्रेशन सं0 3131133234 श्रीमती पिंकी पत्नी स्व0 विजय शंकर, नि0 दौलतखेड़ा, वि0खं0 नवाबगंज, तहसील हसनगंज, जनपद उन्नाव के आवेदन पत्र के सापेक्ष समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर स्वीकृत करते हुए धनराशि भुगतान की कार्यवाही की जा चुकी है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत वर्ष 2024 में अब तक 3334 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2250 आवेदन पत्रों के सापेक्ष भुगतान की कार्यवाही की जा चुकी है। शेष आवेदन पत्रों के सापेक्ष सत्यापनोंपरान्त पात्र पाये गये आवेदन पत्रों का पी0एफ0एम0एस0 रिस्पॉस प्राप्त होने के पश्चात भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
(ख) संबंधितों को उक्त लाभ कब तक प्रदान कर दिये जायेंगें?	उपर्युक्तानुसार।

असीम अरूण
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

<u>अनुपूरक सामग्री</u>

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों का क्षेत्रीय कर्मचारियों से स्थलीय एवं भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से प्राप्त रिस्पॉस के अनुसार पात्र आवेदन पत्रों के सापेक्ष आधार बेस्ड भुगतान की कार्यवाही की जाती है।